प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला।

सेवा में

1. सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति
2. राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालय
3. राज्य में स्थित सभी अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय।

यादि क्रमांक–DHE-010009/25/2021-Coordination-DHE
दिनांक, पंचकूला 02-08-2022

विषय : **'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल आयोजन बारे।**

******

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र क्रमांक DHE-010009/25/2021-Coordination-DHE दिनांक 27.7.2022 के संदर्भ में।

मुझे निर्देश हुआ है कि अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र)–कम–नोडल अधिकारी (AKAM), कार्यालय महानिदेशक, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा से प्राप्त पत्र कमांक सू.ज.स. भ.वि.ह (क्षेत्र)–2022/5953–64 दिनांक 01.08.2022 की एक प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये तथा आपसे अनुरोध किया जाये कि उपरोक्त तिथिवार कार्यक्रम सूची अनुसार कार्यवाही की जाये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

मनोज सिंह
अधीक्षक तालमेल
कृतेः महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक : सम
दिनांक 02-08-2022

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र)–कम–नोडल अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को उनके पत्र क्रमांक सू.ज.स.भ.वि.ह (क्षेत्र)–2022/5953–64 दिनांक 01.08.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. इन्चार्ज आई0टी0सैल को भेजकर अनुरोध है कि उक्त पत्र को उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर तुरन्त अपलोड करें।

मनोज सिंह
अधीक्षक तालमेल
कृतेः महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रेषक

महानिदेशक,
सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवा मामले विभाग।

4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।

5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग।

7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
महिला एवं बाल विकास विभाग।

8. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन एवं वन्यजीव विभाग

9. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा।

10. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी व स्थानीय निकाय, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

P.T.O.

3

आज़ादी का अमृत महोत्सव

FPP

11. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
    उद्योग एवं वाणिज्य विभाग।

12. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
    कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग।

क्रमांक सू.ज.स.भ.वि.ह.(क्षेत्र)–2022 / 5953-64
दिनांक चण्डीगढ 01/08/2022

विषयः– 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल आयोजन बारे।

महोदय,

उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार लिखा जाता है कि 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु एक तिथिवार कार्यक्रम सूची तैयार की गई है जिसका अनुमोदन माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा कर दिया गया है। यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृप्या उपरोक्त तिथिवार कार्यक्रम सूची के अनुरुप कार्यक्रमों को आयोजित करवाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्न – तिथिवार कार्यक्रम सूची

अतिरिक्त निदेशक(क्षेत्र)–कम–नोडल अधिकारी (AKAM)
कृतेः महानिदेशक, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग,
हरियाणा ।

क्रमांक सू.ज.स.भ.वि.ह.(क्षेत्र)–2022 / 5965 दिनांक चण्डीगढ़ 01/08/2022

इसकी एक प्रति अतिरिक्त प्रधान सचिव, मुख्यमन्त्री एवं महानिदेशक, सूचना, जन सम्पर्क एंव भाषा विभाग, हरियाणा को प्रेषित है ।

अतिरिक्त निदेशक(क्षेत्र)–कम–नोडल अधिकारी (AKAM)
कृतेः महानिदेशक, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग,
हरियाणा ।

हर घर तिरंगा कार्यक्रम (13 से 15 अगस्त)
कार्यक्रमों का आरम्भ (2 से 15 अगस्त)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क0 सं0	दिनांक	विभाग का नाम	कार्यक्रम	प्रभारी अधिकारी	जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी
1	2 अगस्त से 15 अगस्त 2 अगस्त	उच्चतर शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग तकनीकी शिक्षा विभाग कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग जिला प्रशासन	राष्ट्रीय ध्वज की मूलभावना पर आधारित कार्यक्रम सभी सरकारी/गैर सरकारी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ तकनीकी विश्वविद्यालयों/तकनीकी महाविद्यालयों/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/स्कूलों में आयोजित करवाए जाएंगे। यह कार्यक्रम सेमिनार, कार्यशाला, भाषण प्रतियोगिता, कविता पाठ इत्यादि रुपों में करवाया जा सकता है किन्तु कार्यक्रम को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाईनर श्री पिंगलैयी वैंकेया के जन्म दिवस 2 अगस्त 1876 से जोड़ा जाएगा। उपरोक्त से अलग जिला मुख्यालय पर श्री पिंगलैयी वैंकेया के जन्म दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।	अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	जिला उपायुक्त उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला शिक्षा अधिकारी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
2	2 अगस्त से 3 अगस्त	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग विकास एवं पंचायत विभाग	जिला/उपमण्डल/खण्ड/ग्रामीण स्तर पर तिरंगा बिकी केन्द्रों का उद्घाटन ग्राम संरक्षक उपरोक्त बिकी केन्द्रों का उद्घाटन करेंगे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु हर गांव में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। उपरोक्त बैठकों की अध्यक्षता सम्बन्धित ग्राम संरक्षक करेंगें और इन बैठकों में वह नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करेंगे। तिरंगा उचित मूल्य की दुकान, डाकघर, पंचायत घर, सामान्य सेवा केन्द्र, आंगनवाड़ी सैन्टर, सरकार स्कूल और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/परिषद् के कार्यालयों में विक्रय के लिए रखा जाएगा।	अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग	जिला उपायुक्त उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक

हर घर तिरंगा कार्यक्रम (13 से 15 अगस्त)
कार्यक्रमों का आरम्भ (2 से 15 अगस्त)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क0 सं0	दिनांक	विभाग का नाम	कार्यक्रम	प्रभारी अधिकारी	जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी
3	2 अगस्त से 15 अगस्त	वन विभाग	वन विभाग द्वारा प्रत्येक जिला में पौधारोपण कार्यक्रम तिरंगे के साथ चलाया जाएगा।	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग	जिला उपायुक्त उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला वन एवं राजिक अधिकारी
4	3 अगस्त से 8 अगस्त	विकास एवं पंचायत विभाग शहरी व स्थानीय निकाय विभाग खेल एवं युवा मामले विभाग पुलिस विभाग	जिला के प्रत्येक खण्ड, उपमण्डल एवं जिला स्तर पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। 3 – अगस्त को गांव और खण्ड स्तर पर, 4 – अगस्त को उपमण्डल स्तर पर, 5 – अगस्त जिला स्तर पर	अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी व स्थानीय निकाय विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, खेल एवं युवा मामले विभाग महानिदेशक, पुलिस	जिला उपायुक्त जिला पुलिस अधीक्षक उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला नगरायुक्त जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जिला खेल अधिकारी
5	3 अगस्त से 5 अगस्त	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	प्रदेश के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी व्यवसायिक संस्थानों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे जैसे तिरंगा यात्राएं, कामगारों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं पर आधारित कार्यशाला, सेमिनार, तिरंगे की मूल भावना पर आधारित कार्यक्रम भी किए जा सकते हैं।	प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	जिला उपायुक्त उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) उपनिदेशक, जिला उद्योग केन्द्र

हर घर तिरंगा कार्यक्रम (13 से 15 अगस्त)
कार्यक्रमों का आरम्भ (2 से 15 अगस्त)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क0 सं0	दिनांक	विभाग का नाम	कार्यक्रम	प्रभारी अधिकारी	जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी
6	6 अगस्त से 7 अगस्त	जिला प्रशासन	उपमण्डल एवं जिला स्तर पर राहगिरी का कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा।	जिला प्रशासन	जिला उपायुक्त जिला पुलिस अधीक्षक उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी
7	8 अगस्त से 9 अगस्त	सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग जिला प्रशासन	प्रत्येक जिला में ऐतिहासिक 5 स्थानों पर हर घर तिरंगा से सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित होंगे जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाया जाना है।	प्रधान सचिव, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग प्रधान सचिव, कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग जिला प्रशासन	जिला उपायुक्त उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी
8	8 अगस्त से 15 अगस्त	स्कूल शिक्षा विभाग	सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य प्रतिदिन स्कूलों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करवाएंगे जिसमें संविधान और तिरंगे के बारे में जानकारी दी जाएगी और सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 10 अगस्त को प्रत्येक स्कूल में अभिभावक–शिक्षक बैठक का आयोजन होगा और प्रधानाचार्य या क्लास इंचार्ज द्वारा अभिभावकों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। 15 अगस्त को पूर्व की भांति प्रत्येक स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। स्कूल प्रबन्धन समिति या उस क्षेत्र की सबसे शिक्षित लड़की से तिरंगा फहरवाया जाएगा।	अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	जिला उपायुक्त उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला शिक्षा अधिकारी

हर घर तिरंगा कार्यक्रम (13 से 15 अगस्त)
कार्यक्रमों का आरम्भ (2 से 15 अगस्त)

क0 सं0	दिनांक	विभाग का नाम	कार्यक्रम	प्रभारी अधिकारी	जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी
8	8 अगस्त से 15 अगस्त	स्कूल शिक्षा विभाग	8 से 15 अगस्त तक स्कूल स्तर पर प्रभात फेरियों का आयोजन होगा। प्रत्येक स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम 50 से 100 विद्यार्थी स्कूल के नजदीक के क्षेत्र में प्रभात फेरी करेंगे। प्रभात फेरी में शिक्षक जरुर साथ रहेंगे। विद्यार्थी एवं शिक्षकों के हाथों में तिरंगा होगा और वह देशभक्ति के गीत गाते चलेंगे। सभी गैर सरकारी विद्यालय हर घर तिरंगा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्टीकर, विनाईल इत्यादि स्कूल की बसों पर प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विद्यार्थी तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे शिक्षकों की देख–रेख में भारत सरकार की वैबसाईट पर अपलोड करेंगे। सभी शिक्षक, विद्यार्थी और गैर शैक्षिक कर्मचारी अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फ़हराएंगे । प्रत्येक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्म, प्रश्नोतरी कार्यक्म, रंगोली, पेन्टिंग इत्यादि का आयोजन करेंगे।	अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	जिला उपायुक्त उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला शिक्षा अधिकारी
9	8 अगस्त व 9 अगस्त	उच्चतर शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग तकनीकी शिक्षा विभाग कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभाग	सभी सरकारी व गैर सरकारी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/तकनीकी विश्वविद्यालयों तकनीकी महाविद्यालयों/औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों/स्कूलों द्वारा तिरंगा पद यात्राएं, साईकिल यात्राएं निकाली जाएंगी।	अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	जिला उपायुक्त उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला शिक्षा अधिकारी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी

हर घर तिरंगा कार्यक्रम (13 से 15 अगस्त)
कार्यक्रमों का आरम्भ (2 से 15 अगस्त)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क0 सं0	दिनांक	विभाग का नाम	कार्यक्रम	प्रभारी अधिकारी	जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी
10	12 अगस्त से 15 अगस्त	स्वास्थ्य विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग स्कूल शिक्षा विभाग	सभी स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों को तिरंगा के साथ सजाया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने–अपने क्षेत्रों में घर–घर जाकर लोगों को तिरंगा खरीदने और अपने घरों पर फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगी।	अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	जिला उपायुक्त उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) सिविल सर्जन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी, (आई. सी.डी.एस.) जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
11	13 अगस्त व 15 अगस्त	सभी विभाग पंचायत विभाग सिंचाई एवं जल प्रबन्धन विभाग	13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक जिला के प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। दोनों विभाग जिला के प्रत्येक अमृत सरोवर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।	सभी अतिरिक्त मुख्य/प्रधान सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल प्रबन्धन विभाग	जिला उपायुक्त जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला के समस्त अधिकारी